


23/1/22

पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता अनुपस्थित।
वादी को पूर्व में दिनांक 23/02/2022 को 3500/-
रुपये की कोस्ट राशि पर रूक अवसर दिया गया
था। वादी द्वारा माही कोस्ट राशि जमा करा नहीं
पेश की है एवं ना ही खर्च उपस्थित हुआ है। वादी को
पूर्व में भी अन्तिम अवसर दिया जा चुका है। वादी द्वारा
लम्बे समय से आदेशों की पालना में होल्ड राशि जमा
नहीं कराई गई है। जिससे वादी को बाद में नियमित
समय अन्तराल पर तीन बार आवाज लगवाई गई।
बावजूद इसके कोई उपस्थित नहीं हुआ। जिससे स्पष्ट
है कि वादी अपने बाद के प्रति गंभीर नहीं है एवं
नहीं वाद चलाना चाहता है।

अतः आदेशों की पालना नहीं किए जाने एवं वादी
द्वारा न्यायालय समय लगाए तक उपस्थित नहीं होने पर
अदम. हाजरी अदम फँसवी में खारिज किया जाता है।
निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

प्रकरण फौजदारी नम्बर 3
कम है।


प्रतिभा शर्मा
P.A.S
उपखण्ड अधिकारी
गिरवा, उदयपुर